न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

प्रार्थना पत्र अवमानना संख्याः–08/2018 (2018/00008)कन्टे./ ब्यावर

1.हरी सिंह पुत्र बुद्धा सिंह
2.महेन्द्रसिंह पुत्र बुद्धासिंह
3.दिनेश सिंह पुत्र विजयसिंह
4.अनिल सिंह पुत्र पुत्र विजयसिंह
5.देवी सिंह उर्फ देवेन्द्र सिंह पुत्र बलवीरसिंह
6.श्रीमती राधा
7.श्रीमती सुमन
8.श्रीमती कमला पुत्रियॉ बलवीरसिंह जाति रावत
9 श्रीमती लाली पत्नी बलवीरसिंह
10.आनन्दसिंह पुत्र बुद्धासिंह निवासी ग्राम नरबदखेड़ा तहसील ब्यावर । जिला अजमेर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती गंगा पत्नी पुष्पेनद्र सिंह जाति रावत निवासी नरबददेखड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सपठित धारा 151 जा.दी. विरूद्ध आदेश दिनांक 19.07.2017 न्यायालय हाजा

उपस्थितः–

3. श्री अशोक अग्रवाल एड़वोकेट प्रार्थी की ओर से।
4. श्री ओम प्रकाश आचार्य एड़वोकेट अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 24.10.18

01. प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.07.2017 के द्वारा स्थगन आदेश की अवमानना किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नरबदखेड़ा तहसील ब्यावर की जमाबंदी सम्वत 2069–2072 के खाता संख्या 17 में स्थित आराजियात खसरा नम्बर 148, 151, 212, 346, 772, 773, 776, 777, 783, 795/1, 828, 829, 830/1, 830/2, 832, 833, 834, 835, 835/1540, 936, 837, 839, 839/1541, 843, 845, 888, 920, 972, 1019, 1024, 1040/1, 1040/2, 1041, 1062, 1099, 1100, 1112, 1139/1, 1139/2, 1141, 1142, 1143,1144, 1145 1394, 1395, 1396, 1406, 1437 कुल किता 54 रकबा 53–17–10 बीघा में से अप्रार्थी संख्या 01 गंगा देवी ने अपने 1/6 हिस्से बाबत् एक वाद बंटवारा, उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष पेश किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09.06.2017 पारित की हैं। जिसके विरूद्ध अपीलांट/प्रार्थी ने न्यायालय हाजा कें समक्ष एक अपील प्रस्तुत की हैं जिसमें दिनांक 09.06.2017 को राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखने हेतु आदेश पारित किये, उसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 एवं उनके पति द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 09.06.2017 की अवमानना किये जाने के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 19.07.2017 के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पति व उनके दो पुत्रों ने हमारे खसरा नम्बर 1145, 772, 773, 830/1, 830/2 एवं 845 में घुसकर उनके द्वारा लगाई चनो व सरसों की फसल को नष्ट कर दिया हैं। जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना जवाजा में की गई हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 19.07.2018 होते हुए प्रार्थीगण/अपीलांटस की खड़ी फसल को अप्रार्थी संख्या 01/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पति पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र कालू एवं उनके दो पुत्र जयदीप सिंह व मंदीप सिंह के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट पेश किया हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही कर न्यायालय की अवमानना किये जाने पर दण्डित करें, जो न्यायहित में होगा।

5. अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अभिभाषक प्रार्थीगण का यह कथन झूठा है कि अप्रार्थी संख्या 01 के पति व उनके दो लड़कों ने उनके खेत खसरा में घुसकर उनकी फलस नष्ट कर दी। प्रार्थिया के विरूद्ध पुलिस थाना, जवाजा में रिपोर्ट दर्ज की है जा बेबुनियाद झूटी मनगढ़त है जबकि खसरा नम्बर 1145 पर मुझ अप्रार्थी संख्या 01 का ही कब्जा रहा है और चलता आ रहा हैं दिनांक 06.07.2017 को अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा एस.एच.ओ. पुलिस थाना, जवाजा में अप्रार्थी संख्या 01 ने एक तहरीर दी है जिस पर कार्यवाही होकर दोनो पक्षकारों को तहसीलदार, ब्यावर द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पाबंद किया हैं। न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2017 को जारी स्थगन आदेश की अवमानना नही की हैं। अप्रार्थी संख्या 01 अपनी खरीदशुदा खसरा नम्बरान पर कब्जकाश्त कर रही हैं प्रार्थीगण के खसरा नम्बरान पर कभी भी दंखल नहीं दिया हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

6. अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद मनन यह प्रार्थना पत्र अपील संख्या 145/2017 बउनवानी हरी सिंह बनाम श्रीमती गंगा रावत में न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 19.07.2018 की अवमानना किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत किया हैं। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त अपील का निस्तारण दिनांक 09.10.2018 को कर दिया गया हैं तथा प्रार्थी को अवमानना प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित करना था जिसमें वह पूर्णतया असफल रहे है। प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त योग्य पाया जाता हैं।

7. अतः प्रार्थना पत्र अवमानना खारिज किया जाता हैं। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

24/10/18

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 24.10.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

24/10/18

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर